

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9 / उपांकीट०अनु०-04 / 2014-
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांकमई, 2015

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स जसवंत रसायन प्रा० लि०,
C/O मेसर्स केमिकल्स एण्ड ऑरगेनिक्स,
H/O श्री अवधि किशोर साहा, मानपुर,
बैरिया रोड, नियर पी० एम० एस० स्कूल, बैरिया पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या 122 दिनांक 28.08.2014 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना से प्राप्त स्थल जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित 23 कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञाप्ति एवं प्रिसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि 31.12.2016 तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 75% SP	13	Profenofos 40%+ Cyper methrin 4% EC
2	Cypermethrin 10% EC	14	Fenobucarb 50% (B.P.M.C. 50% EC)
3	Cypermethrin 25% EC	15	Catap Hydrochloride 50%EC
4	Chlorpyriphos 20% EC	16	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC
5	Atrazine 50% WP	17	Glyphosate 41%SL
6	Alpha cyper methrin 10% EC	18	Imidacloprid 17.8% SL
7	Profenofos 50% EC	19	Lambdacyhalothrin 5% EC
8	Chlorpyriphos 50% EC	20	2-4-D Sodium Salt 80% WP
9	Carbendazim 50% WP	21	Acetamiprid 20% SP
10	Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP	22	Pretilachlor 50%EC
11	Hexaconazole 5% EC	23	Pendimethalin 30% EC
12	Sulphur 80% WDG		

2—उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स जसवंत रसायन प्रा० लि०, C/O मेसर्स केमिकल्स एण्ड ऑरगेनिक्स, H/O श्री अवधि किशोर साहा, मानपुर, बैरिया रोड, नियर पी० एम० एस० स्कूल, बैरिया पटना।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित ज़िला कृषि पदाधिकारी को सम्मय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्कर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

W

8—अमानक / मिलावटी / नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट / बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


9— कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं.0.122 दिनांक .28.08.2014 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
हो/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२७।

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना / सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।